न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 3657 सन 2017

राज्य प्रति आकिल उर्फ हसीन।

05-10-2017 <u>आदेश</u>

अभियुक्त आकिल उर्फ हसीन मु०अ०सं० 482 सन 2017 धारा 379, 411 भा०दं०सं० थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है, के जमानत आवेदन पर सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष की तरफ से तर्क किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। झूंठा फंसाया गया है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।

आवेदक के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति गम्भीर है, अपराध गैर जमानतीय प्रकृति का है। वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जमानत का उचित आधार नहीं है। जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

(पारूल श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुलन्दशहर।
05-10-2017